बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0,

'खाद्य भवन'', दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना -800001

पत्रांक S:08:05:51:01:2018- 8320 दिनांक- 08/9/19

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक, भण्डारण (ज0वि0),
निगम मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः- **राज्य खाद्य निगम के अधीन कार्यरत गोदाम/कार्यालय का बकाया किराया भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः ऐसा पाया जाता है कि कतिपय जिला से गोदाम/कार्यालय का बकाया किराया भुगतान हेतु विपत्र पारित कर ससमय निगम मुख्यालय में नहीं भेजा जाता है। फलतः गोदाम/कार्यालय का किराया भुगतान हेतु मकान मालिक को फजीहत का सामना करना पड़ता है।

उपर्युक्त परिपेक्ष में यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक जिला प्रबंधक माह के 25 तारीख को अपने-अपने जिले के किराये के गोदाम/कार्यालय का बकाया किराया भुगतान हेतु निगम मुख्यालय द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में विपत्र पारित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् निगम मुख्यालय द्वारा माह के अंतिम तिथि तक उक्त अधियाचित विपत्र के विरूद्ध आवंटन/निधि उपलब्ध कराया जा सके, ताकि हरहाल में माह के प्रथम सप्ताह तक बकाया किराया भुगतान संबंधित मकान मालिक को किया जा सके।

अतः निदेश है कि उक्त परिपेक्ष में लिये गये निर्णयानुसार किराये पर लिये गये गोदाम/कार्यालय के किराया भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन,

9/8/19

उप महाप्रबंधक, भण्डारण (ज0वि0)

1538